कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः–1964 FP/UK/ROAD/9741/2015 दिनॉकः देहरादून 23 जनवरी, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में सुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42.00 मीटर स्पान को लौह मोटर सेतु का निर्माण हेतु वांछित 0.224 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। **FP/UK/ROAD/9741/2015**

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29.01.2018।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 29.01.2018 के क्रम में चाही गयी सूचना उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The requirement is mentioned for construction of 42 mts long bridge. In certain document, like digital map and toposheet, it is mentioned as 48 mts. Long bridge.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
2	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is shown as NIL	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
3	The authority letter for uploading the case on portal is in favour of one Sh. R.S.Panwar (refers sl no. A 3 xvii online part I) while it is mentioned as Sh. Vijay Kumar Mogha at A 3.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
4	In village-wise breakup, the name of village is shown as Dhaula, while in FRA it is mentioned as Sewa, Wari and Hadwari	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
5	Since area proposed for diversion is less than 01.0 ha, hence CA may not be required but no. plantation scheme is submitted	कांटे जाने वाले वृक्षों के बदले न्यूनतम 100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्तुत किया जा रहा है।
6	KML file does not show bridge.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
7	Justification for locating the project is not uploaded online at para D Part I instead authority letter is uploaded.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
8	Google earth picture showing alterative	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर

	examined does not show any alternative to the one proposed.	ऑनलाईन दिया गया है।
9	Employment data at E shows temporary employment as 16800 while in Part I of hard copy submitted by user agency it is shown as 9568 which does not match.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
10	In the component-wise break up at 2.4, name of area is given which is incorrect.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
11	Instead of digital map duly geo-referenced, google earth map is uploaded at C (iv) Part I which cannot be used for DSS analysis.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
12	Legal status of the area is not clear as it is mentioned as RF online in para 4 Part II and PF in SIR of DFO	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
13	While as per documents provided it appears that prior approval of NBWL has been obtained, it is not clear whether prior approval of Apex court has been obtained.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
14	The file folder provided by the state government is a coloured photocopy which is not admissible as per directions issued by the Ministry.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।
15	Vulnerability of land from erosion point of view is not mentioned rather it is mentioned that as per geologist report which defeats the purpose of making the case online in public domain if details are not provided in the relevant column.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र में भूस्खलन से कोई भी क्षति होने की सम्भावना नहीं है।
16	Administrative approval and financial sanction from the competent authority for the project is not available.	आपत्ति का निराकरण यूजर एजेन्सी द्वारा कर ऑनलाईन दिया गया है।

संलग्नक–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 23.1.21

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।